O.A. No. 517/2023

सेवा में,

श्रीमान्

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रीबुनल,

नई दिल्ली

NATIONAL GREEN TRIBUNAL
Principal Bench, New Delhi
Receipt & Issue Branch
Received
09 OCT 2023
Diary No.
Signature

महोदय,

सिविल रिट पिटीशन नोटिस सं0 45456/23 दिनांक 06/09/2023 गोकुल चन्द्र शर्मा आदि बनाम स्टेट ऑफ यू0पी व अन्य के सन्दर्भ में प्रस्तरवार आख्या विपक्षी नं0 5 के तरफ से निम्न हैः-

1:- इस प्रस्तर में वर्णित कथन सत्य है कि याचीकर्तागण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इस मामले में यह प्रथम याचिका विरूद्ध शासनादेश वाराणसी विकास प्राधिकरण जो2 सितम्बर 2012 में प्रकाशित हुआ था दाखिल की गयी है।

2:- इस प्रस्तर में वर्णित कथन सत्य है कि विपक्षीगण द्वारा कोई कैविएट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में नही दाखिल की गयी है।

3:- इस प्रस्तर में वर्णित कथन का सम्बन्ध विपक्षी नं0 2 लगायत 4 से सम्बन्धित है तथा उसका उत्तर उन्ही के द्वारा दिया जा सकता है क्योंकि थाना स्थानीय पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

4:- इस प्रस्तर में वर्णित कथन का सम्बन्ध विपक्षी नं0 2 व 3 से सम्बन्धित है तथा उसका उत्तर उन्ही के द्वारा दिया जा सकता है क्योंकि थाना स्थानीय पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

5:- इस प्रस्तर में वर्णित कथन का सम्बन्ध 2 लगायत 4 से सम्बन्धित है तथा उसका उत्तर उन्ही के द्वारा दिया जा सकता है क्योंकि थाना स्थानीय पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

6:- इस प्रस्तर में वर्णित कथन याचीकर्तागण द्वारा मकान से सम्बन्धित नगर निगम की रसीद दाखिल किये जाने से सम्बन्धित जिस पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

7:- इस प्रस्तर में वर्णित कथन का सम्बन्ध विपक्षी नं0 2 लगायत 4 व 6 से सम्बन्धित है तथा उसका उत्तर उन्ही के

द्वारा दिया जा सकता है क्योंकि थाना स्थानीय पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

8:– इस प्रस्तर में वर्णित कथन का सम्बन्ध विपक्षी नं0 2 लगायत 4 से सम्बन्धित है तथा उसका उत्तर उन्ही के द्वारा दिया जा सकता है क्योंकि थाना स्थानीय पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

9:– इस प्रस्तर में वर्णित कथन का सम्बन्ध विपक्षी नं0 2 लगायत 4 से सम्बन्धित है तथा उसका उत्तर उन्ही के द्वारा दिया जा सकता है क्योंकि थाना स्थानीय पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

10:– इस प्रस्तर में वर्णित कथन का सम्बन्ध विपक्षी नं0 2 लगायत 4 से सम्बन्धित है तथा उसका उत्तर उन्ही के द्वारा दिया जा सकता है क्योंकि थाना स्थानीय पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

11:– इस प्रस्तर में वर्णित कथन का सम्बन्ध 2 लगायत 4 से सम्बन्धित है तथा उसका उत्तर उन्ही के द्वारा दिया जा सकता है क्योंकि थाना स्थानीय पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

12:– इस प्रस्तर में वर्णित कथन का सम्बन्ध विपक्षी नं0 2 लगायत 4 से सम्बन्धित है तथा उसका उत्तर उन्ही के द्वारा दिया जा सकता है क्योंकि थाना स्थानीय पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

13:– इस प्रस्तर में वर्णित कथन का सम्बन्ध 2 लगायत 4 से सम्बन्धित है तथा उसका उत्तर उन्ही के द्वारा दिया जा सकता है क्योंकि थाना स्थानीय पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

14:– इस प्रस्तर में वर्णित कथन का सम्बन्ध विपक्षी नं0 2 लगायत 4 से सम्बन्धित है तथा उसका उत्तर उन्ही के द्वारा दिया जा सकता है क्योंकि थाना स्थानीय पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

15:– इस प्रस्तर में वर्णित कथन का सम्बन्ध विपक्षी नं0 2 लगायत 4 से सम्बन्धित है तथा उसका उत्तर उन्ही के द्वारा दिया जा सकता है क्योंकि थाना स्थानीय पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

16:– इस प्रस्तर में वर्णित कथन राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश को संलग्न किये जाने से सम्बन्धित है जिस पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

17:– इस प्रस्तर में वर्णित कथन का सम्बन्ध विपक्षी नं0 2 लगायत 4 से सम्बन्धित है तथा उसका उत्तर उन्ही के द्वारा दिया जा सकता है क्योंकि थाना स्थानीय पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

18:– इस प्रस्तर में वर्णित कथन का सम्बन्ध विपक्षी नं0 2 लगायत 4 से सम्बन्धित है तथा उसका उत्तर उन्ही के द्वारा दिया जा सकता है क्योंकि थाना स्थानीय पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

19:– इस प्रस्तर में वर्णित कथन का सम्बन्ध विपक्षी नं0 2 लगायत 4 से सम्बन्धित है तथा उसका उत्तर उन्ही के द्वारा दिया जा सकता है क्योंकि थाना स्थानीय पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

20:– इस प्रस्तर में वर्णित कथन का सम्बन्ध विपक्षी नं0 2 लगायत 4 से सम्बन्धित है तथा उसका उत्तर उन्ही के द्वारा दिया जा सकता है क्योंकि थाना स्थानीय पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

21:– इस प्रस्तर में वर्णित कथन सत्य है कि अस्सीघाट से राजघाट के बीच विभिन्न मंदिर व पक्के मकान स्थित है जिसमें मणिकार्णिका घाट, पंचगंगा घाट, तथा अन्य मन्दिर व मकान स्थित है।

22:– इस प्रस्तर में वर्णित कथन असत्य है सत्य यह है कि गंगा के 200 मीटर के अन्दर हजारो धर्मशाला व मकान स्थित है तथा वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा महायोजना का स्किम स्वीकार की गयी तथा गंगा से 200 मीटर के दायरे में निर्माण पर रोक लगायी गयी तथा विधि अनुसार प्रस्ताव पारित किया गया।

23:– इस प्रस्तर में वर्णित कथन का सम्बन्ध विपक्षी नं0 2 लगायत 4 से सम्बन्धित है तथा उसका उत्तर उन्ही के द्वारा दिया जा सकता है क्योंकि थाना स्थानीय पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

24:– इस प्रस्तर में वर्णित कथन का सम्बन्ध 2 लगायत 4 से सम्बन्धित है तथा उसका उत्तर उन्ही के द्वारा दिया जा

सकता है क्योंकि थाना स्थानीय पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

25:– इस प्रस्तर में वर्णित कथन का सम्बन्ध 2 लगायत 4 से सम्बन्धित है तथा उसका उत्तर उन्ही के द्वारा दिया जा सकता है क्योंकि थाना स्थानीय पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

26:– इस प्रस्तर में वर्णित कथन का सम्बन्ध विपक्षी नं0 2 लगायत 4 से सम्बन्धित है तथा उसका उत्तर उन्ही के द्वारा दिया जा सकता है क्योंकि थाना स्थानीय पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

27:– इस प्रस्तर में वर्णित कथन असत्य है, सत्य यह है कि याचीकर्तागण द्वारा गलत आधार पर यह याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान दाखिल किया है।

28:– इस प्रस्तर में वर्णित कथन असत्य है, सत्य यह है कि याचीकर्तागण द्वारा निम्न गलत आधार पर यह याचिका दाखिल किया है।

आधार

i.इस प्रस्तर में वर्णित आधार का सम्बन्ध विपक्षी नं0 2 लगायत 4 से सम्बन्धित है तथा उसका उत्तर उन्ही के द्वारा दिया जा सकता है क्योंकि थाना स्थानीय पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

ii इस प्रस्तर में वर्णित आधार का सम्बन्ध विपक्षी नं0 2 व 3 से सम्बन्धित है तथा उसका उत्तर उन्ही के द्वारा दिया जा सकता है क्योंकि थाना स्थानीय पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

iii. इस प्रस्तर में वर्णित आधार का सम्बन्ध विपक्षी नं0 2 लगायत 4 से सम्बन्धित है तथा उसका उत्तर उन्ही के द्वारा दिया जा सकता है क्योंकि थाना स्थानीय पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

iv. इस प्रस्तर में वर्णित आधार का सम्बन्ध विपक्षी नं0 2 लगायत 4 से सम्बन्धित है तथा उसका उत्तर उन्ही के द्वारा दिया जा सकता है क्योंकि थाना स्थानीय पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

v. इस प्रस्तर में वर्णित आधार का सम्बन्ध विपक्षी नं0 2 लगायत 4 से सम्बन्धित है तथा उसका उत्तर उन्ही के द्वारा दिया जा सकता है क्योंकि थाना स्थानीय पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

vi. इस प्रस्तर में वर्णित आधार का सम्बन्ध विपक्षी नं0 2 लगायत 4 से सम्बन्धित है तथा उसका उत्तर उन्ही के द्वारा दिया जा सकता है क्योंकि थाना स्थानीय पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

vii. इस प्रस्तर में वर्णित आधार का सम्बन्ध विपक्षी नं0 2 लगायत 4 से सम्बन्धित है तथा उसका उत्तर उन्ही के द्वारा दिया जा सकता है क्योंकि थाना स्थानीय पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

viii. इस प्रस्तर में वर्णित आधार का सम्बन्ध विपक्षी नं0 2 लगायत 4 से सम्बन्धित है तथा उसका उत्तर उन्ही के द्वारा दिया जा सकता है क्योंकि थाना स्थानीय पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

ix. इस प्रस्तर में वर्णित आधार असत्य है सत्य यह है कि विपक्षीगण 2 लगायत 4 द्वारा की गयी कार्यवाही विधि अनुसार की गयी है तथा उनके द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लघंन नहीं किया गया है।

x. इस प्रस्तर में वर्णित आधार का सम्बन्ध विपक्षी नं0 2 लगायत 4 से सम्बन्धित है तथा उसका उत्तर उन्ही के द्वारा दिया जा सकता है क्योंकि थाना स्थानीय पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

xi. इस प्रस्तर में वर्णित आधार का सम्बन्ध विपक्षी नं0 2 लगायत 4 से सम्बन्धित है तथा उसका उत्तर उन्ही के द्वारा दिया जा सकता है क्योंकि थाना स्थानीय पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

xii. इस प्रस्तर में वर्णित आधार का सम्बन्ध विपक्षी नं0 2 लगायत 4 से सम्बन्धित है तथा उसका उत्तर उन्ही के द्वारा दिया जा सकता है क्योंकि थाना स्थानीय पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

xiii. इस प्रस्तर में वर्णित आधार असत्य है सत्य यह है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित शासनादेश के अनुसार शासनादेश को प्रकाशित किया गया।

प्रार्थना

याचीकर्तागण द्वारा की गई निम्न याचना गलत आधार पर की गई जिसे स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

1. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जरिये अधिकार पृच्छा रिट आदेश निर्देश द्वारा शासनादेश 2 सितम्बर 2012 जो विकास प्राधिकरण वाराणसी द्वारा प्रकाशित किया गया था को निरस्त किया जाना न्यायोचित नही है ।

2. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जरिये मैडमस रिट आदेश निर्देश द्वारा याचीकर्तागण के मकान को ध्वस्तिकरण पर रोक लगाया जाना न्यायोचित नहीं है।

3. याचीकर्तागण माननीय उच्च न्यायालय से कोई अन्य रिट आदेश या निर्देश पाने के अधिकारी नही है।

4.याचीकर्तागण याचिका के खर्चा पाने का अधिकारी नही है।

अतः याचीकर्तागण द्वारा दाखिल आपराधिक मि0रिट पिटिशन का हम विपक्षी नं0 1 द्वारा प्रबल विरोध किया जा रहा है।

दिनांकः– 28/09/2023

28/09/2023

संजय कुमार यादव

उपनिरीक्षक

थाना दशाश्वमेध

कमिश्नरेट वाराणसी

Sir Submitted

सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध, वाराणसी

Sir Submitted 28/09/2023

Sir Submitted

ADCP (K) VNS

अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध

कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी-जोन, कमिश्नरेट, वाराणसी।

THE OFFICE 0F DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE KASHI - ZONE

संख्याःरीडर/डीसीपी-काशी(मा0न्याया0प्रकरण)/2023 दिनांकःसितम्बर ०१ ,2023

श्री अवधेश कुमार पाण्डेय,
सहायक पुलिस आयुक्त-दशाश्वमेध,
जोन काशी, कमिश्नरेट वाराणसी।

कृपया पुलिस आयुक्त, वाराणसी के पत्र संख्याःप-1015/2023 दिनांक 07.09.2023 के माध्यम से प्राप्त कंसलटेंट(जुडिसियल), एनजीटी, नई दिल्ली दिनांक 04.09.2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से मा0 नेशनल ग्रीन ट्रीबुनल, नई दिल्ली में योजित एप्लीकेशन सं0-517/2023 रिट पिटीशन(पी0आई0एल0) सं0 45456/2012 गोकुल चन्द्र शर्मा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में तत्काल ईन्स्ट्रक्शन/अपेक्षित आख्या मा0 नेशनल ग्रीन ट्रीबुनल, नई दिल्ली में दाखिल किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न पत्र का भली-भांति अवलोकन कर उक्त पी0आई0 एल0 में ईन्स्ट्रक्शन/अपेक्षित आख्या तैयार कराकर मा0 नेशनल ग्रीन ट्रीबुनल, नई दिल्ली में दाखिल करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या सम्बन्धित को प्रेषित करते हुए उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रकरण मा0 नेशनल ग्रीन ट्रीबुनल, नई दिल्ली से सम्बन्धित है।

संलग्नकः यथोपरि।

पुलिस उपायुक्त,
जोन काशी,
कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रतिलिपिः- अपर पुलिस उपायुक्त, जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी को आ0का0 एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।

कार्यालय पुलिस आयुक्त, वाराणसी।
THE OFFICE OF COMMISSIONER OF POLICE VARANASI

पत्रांकःप–1015/2023 दिनांकःसितम्बर 07 ,2023

पुलिस उपायुक्त– काशी जोन
जनपद– वाराणसी।

कृपया अवगत कराना है कि कंसलटेंट(जुडिसियल),एनजीटी, नई दिल्ली दिनांक 04.09.2023 की प्रति इस कार्यालय को दिनांक 06.09.2023 को प्राप्त है, जिसके माध्यम से मा0 नेशनल ग्रीन ट्रीबुनल, नई दिल्ली में योजित अपलीकेशन सं0–517/2023 रिट पिटीशन (पी0आई0एल0) सं0 45456/2012 गोकुल चन्द्र शर्मा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में तत्काल ईन्स्ट्रक्शन/अपेक्षित आख्या मा0 नेशनल ग्रीन ट्रीबुनल, नई दिल्ली में दाखिल किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है। उपरोक्त याचिका में अद्योहस्ताक्षरी को आपको **प्रतिपक्षी संख्या–05** बनाया गया है।

अतः उक्त पत्र की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त पी0आई0एल0 में ईन्स्ट्रक्शन/अपेक्षित आख्या तैयार कराकर मा0 नेशनल ग्रीन ट्रीबुनल, नई दिल्ली में दाखिल करना सुनिश्चित करें। प्रकरण मा0 नेशनल ग्रीन ट्रीबुनल, नई दिल्ली से सम्बन्धित है अतएव शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।
पत्र संख्याः प–1015/2023
दिनांकः सितम्बर 07 ,2023

पुलिस आयुक्त
वाराणसी।

Rep
08/9/23